

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए दस्तावेज़ सह अस्थायी रसीद

**अस्थायी पर्ची केवल (29 फरवरी 2024) के बाद ही सक्रिय की जाएगी**

- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) की सदस्यता के लिए आवेदन हेतु क्रमांक जेसी390245एन रैंक एनबी उप नाम शेलके संदीप सीताराम से प्राप्त दस्तावेज:-
- पेंशन भुगतान आदेश संख्या (पीपीओ संख्या) (फोटोकॉपी संलग्न करें) 205202400629
- वार्ड की श्रेणी अर्ध निजी
- बल का प्रकार: सेना 5. रेजिमेंट/यूनिट: 6 तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट, 2 एसटीसी  
राज्य और पिन कोड के साथ वर्तमान पता:  
6. राज्य और पिन कोड के साथ स्थायी पता:  
गांव/पोस्ट वडोद बाजार तह फुलंबरी जिला औरंगाबाद  
महाराष्ट्र, फुलंबरी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, 431134  
46/8 सीटीएस नंबर 318 भाग्यश्री नगर लेन नंबर 1 बीटी  
कवाडे रोड घोरपडी पुणे महाराष्ट्र 411036, पुणे, पुणे,  
महाराष्ट्र, 411036
- मोबाइल नंबर: 9718040016 8. जन्मतिथि: 15 अक्टूबर 1982 9. सेवानिवृत्ति की तिथि: 29 फरवरी 2024
- पेंशनभोगी पुणे के मूल पॉलीक्लिनिक, एमआरओ नंबर। (यदि लागू हो)
- कार्ड शुल्क @ रु. 177/- रुपये का भुगतान किया गया। : 885 लेनदेन आईडी: 18342242291 के माध्यम से
- तक वैध है : \_\_\_\_\_

प्राथमिक लाभार्थी



नाम: शेलके संदीप  
सिताराम  
जन्मतिथि: 15 अक्टूबर  
1982

जीवनसाथी



नाम: शेलके सुरेखा  
संदीप  
जन्मतिथि: 12 फरवरी  
1984

बेटी



नाम: शेलके स्नेहा संदीप  
जन्मतिथि: 28 मार्च  
2006

बेटा



नाम: शेलके यश संदीप  
जन्मतिथि: 19 जून  
2008

माँ



नाम: शेलके दुर्गाबाई  
सीताराम  
जन्मतिथि: 01 जुलाई  
1958

### 13. द्वारा सक्रियण

जगह \_\_\_\_\_  
तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

(रैंक, नाम और नियुक्ति के साथ टिकट, ओआईसी पैरेंट पॉलीक्लिनिक)

### टिप्पणियाँ :-

- यह मूल रसीद स्मार्ट कार्ड के संग्रहण के समय लौटाई जानी आवश्यक है। रसीद नष्ट नहीं होगी. इसे मूल आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया जाएगा।
- यदि यह रसीद मूल रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस द्वारा अंतिम सत्यापन नहीं किया गया है तो कोई स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

3. रिकार्ड कार्यालय आवेदन पत्र की जांच के बाद इस रसीद को व्यक्ति की सेवानिवृत्ति तक अपने पास रखेगा
  4. क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस द्वारा 01 अप्रैल 2003 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को इस रसीद को जारी करने से पहले एफएमए और योगदान जमा (एमआरओ) को रोकना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  5. यह रसीद केवल उन पुराने सेवानिवृत्त लोगों के लिए मूल पीपीओ और डिस्चार्ज बुक के सत्यापन पर जारी की जाएगी जिनके पास पुराने कार्ड नहीं हैं।
  6. मूल रसीद जारी होने की तारीख से अधिकतम छह महीने तक वैध होती है।
  7. ओआईसी पैरेंट पॉलीक्लिनिक के हस्ताक्षर के बाद ही पर्ची सक्रिय मानी जाएगी।
  8. पॉलीक्लिनिक द्वारा आधार सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. पुराने कार्ड/अस्थायी रसीदें वापस कर दी जाएंगी।
- 

तारीख: 27 फरवरी 2024



ईएसएम/पारिवारिक पेंशनभोगी के हस्ताक्षर